निरीक्षण टिप्पणी

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम	:	**श्री विजय किरन आनन्द,**
पदनाम	:	जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
निरीक्षित कार्यालय	:	**कार्यालय तहसील सदर, शाहजहाँपुर।**
निरीक्षण का दिनांक	:	04–05–2016

मेरे द्वारा दिनांक 04–05–2016 को कार्यालय तहसील सदर, शाहजहाँपुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री विजयशंकर दुबे, उप जिलाधिकारी–तिलहर, श्री सलिल कुमार पटेल, उप जिलाधिकारी–पुवायां, श्रीमती वंदना त्रिवेदी, उप जिलाधिकारी, जलालाबाद, श्री ओमकार नाथ वर्मा, तहसीलदार–सदर, श्री संजय कुमार, नायब तहसीलदार सदर, श्री सज्जन बाबू, प्रशासनिक अधिकारी, अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे ।

निरीक्षण के दौरान तहसील सदर कार्यालय की स्थिति निम्नवत् पायी गई:–

1–भवन–

तहसील सदर के भवन का नवनिर्माण वर्ष 1992 में कराया गया था। भवन में तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक एवं चार नायब तहसीलदारों के अलग–अलग न्यायालय कक्ष बनाये गये है। परिसर में वाद कार्यो के बैठने के लिए सीमेन्ट की बैंच, पेयजल एवं प्रसाधन आदि की समुचित व्यवस्था है। तहसील कार्यालय का भवन सन्तोषजनक है भवन में कुछ कक्ष निष्प्रयोजन एवं बन्द पाये गये तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि वह उन कमरों उपयोग में लाना सुनिश्चित करें।

तहसील कार्यालय भवन में पर्याप्त साफ–सफाई नहीं पाई गयी। कार्यालयों कक्षों में धूल मिट्टी एवं गन्दगी आदि पायी गयी है। इसी प्रकार कार्यालयों प्रांगण में पर्याप्त साफ–सफाई नहीं पायी गयी अतः तहसील कार्यालय की साफ–सफाई असन्तोषजनक है तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि वह तहसील कार्यालय में पर्याप्त साफ–सफाई सुनिश्चित करायें यदि सफाई कर्मी पर्याप्त नहीं तो नगर पालिका परिषद शाहजहाँपुर से सफाई कर्मी सम्बद्व कर पर्याप्त साफ–सफाई कराना सुनिश्चित करें।

तहसील में निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी कक्ष में संचालित कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कक्ष में पर्दे अत्यन्त गन्दे व धूल भरे पाए गए। कक्ष में कोर्ट पार्टीशन को तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान नायब तहसीलदार कोर्ट कक्ष बन्द पड़ा पाया गया। जानकारी करने पर अवगत कराया गया कि नायब तहसीलदार तैनात न होने के कारण कोर्ट कक्ष खाली पड़ा है और उपयोग में नहीं लाया जा रहा है। तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त कार्यालय कक्ष को उपयोग में लाएं और आई0जी0आर0एस0 अथवा कम्प्यूटर कक्ष के रूप में विकसित कर उपयोग में लाएं।

2–शौचालय :–

तहसील में स्थापित शौचालय अत्यन्त गंदे एवं दयनीय स्थिति में पाए गए। तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल व्यक्तिगत रूचि लेकर तहसील में महिला एवं पुरुष शौचालयों को अविलम्ब सही कराना सुनिश्चित करें । सभी शौचालयों में टायल्स एवं उत्कृष्ट श्रेणी के सेनेटरी वस्तुओं/उपकरणों का उपयोग किया जाए। सुनिश्चित कराया जाए कि सभी शौचालय आधुनिक एवं स्वच्छ रहें। इस हेतु शौचालयों की प्रतिदिन नियमित रूप से साफ सफाई आदि करायी जाए।

3–गत निरीक्षण–

तहसील सदर कार्यालय का गत निरीक्षण अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा दिनांक 29.02.2016 किया गया, जिसकी निरीक्षण टिप्पणी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है इससे पूर्व अपर आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा दिनांक 06.09.2014 को निरीक्षण किया गया था जिसकी अनुपालन आख्या दिनॉक–23.03.2015 को प्रेषित की जा चुकी है। तथा इससे पूर्व दिनांक 30.10.2014 को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) द्वारा तहसील सदर कार्यालय का निरीक्षण किया गया था जिसकी अनुपालन आख्या दिनांक 05.01.2016 को प्रेषित की जा चुकी है। इसी क्रम में उप जिलाधिकारी सदर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि वह निर्धारित रोस्टर के अनुसार समय से तहसील कार्यालय सदर का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार सदर, शाहजहाँपुर)

4–अधिष्ठान की स्थिति–

तहसील सदर के कार्यालय निरीक्षण के दौरान अधिष्ठान की जानकारी प्राप्त की गयी जिसके अनुसार तहसील सदर में आशुलिपिक उपजिलाधिकारी, टंकक एवं वासिल वाकी नवीस के पद रिक्त है। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) को निर्देशित किया गया कि वह उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा रिक्त के पदों पर शीघ्र ही तैनाती करें। कर्मचारियों की तैनाती के सम्बन्ध में जानकारी करने पर तहसीलदार सदर द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील में कुछ पटलों पर कर्मचारी तीन वर्ष से अधिक अवधि से तैनात है। सामान्य स्थानान्तरण के समय इस कर्मचारियों के स्थानान्तरणर पर विचार किया जा सकता है। तहसील स्तरीय अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण निम्नवत है :–

क0सं0	अधिकारी/कर्मचारीगण	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	नायब तहसीलदार	04	01	03
2	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	—
3	रीडर उपजिलाधिकारी	01	01	—
4	अहलमद फौजदारी	01	01	—
5	अहलमद राजस्व	01	01	—
6	आशुलिपिक	01	—	01
7	नायब नाजिर	01	01	—
8	न्याय लिपिक	01	01	—
9	टंकक	01	01	—
10	कोर्ट लिपिक	02	—	02
11	प्रतिलिपिक	01	01	—
12	वा0वा0नवीस	01	—	—
13	सहा0वा0वा0नवीस	08	06	02
14	रजिस्ट्रार कानूनगो	04	03	01
15	संग्रह अमीन	57	30	27
16	संग्रह अनुसेवक	57	18	39
17	नजारत अनुसेवक	29	22	07
18	राजस्व निरीक्षक	06	03	03
19	लेखपाल	109	72	37
20	चेनमैन	06	06	—

(कार्यवाही–अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर, शाहजहाँपुर)

5–सेवा अभिलेखों की स्थिति :–

तहसील सदर में कार्यालय निरीक्षण के दौरान तहसील की विभिन्न विभागों में तैनात लेखपालों, संग्रह,अमीनों, लिपिकों, एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों यथा जी0पी0एफ0, पास बुक, चरित्र पंजिकाओं की संरक्षण एवं उन पर इन्द्राज विवरणों की जानकारी प्राप्त की गयी साथ ही उपस्थित कर्मचारियों से सेवा सम्बन्धी समस्याओं एवं वेतन आदि की प्राप्ति के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी। सेवा अभिलेखों का रख–रखाव एवं कर्मचारियों द्वारा बतायी गयी स्थिति से अधिष्ठान का कार्य सन्तोषजनक पाया गया। उप जिलाधिकारी एवं

तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि वह तहसील में कार्यरत सभी कर्मचारियों से सेवा सम्बन्धी प्रकरणों एवं अभिलेखों का स्वयं परीक्षण कर लें।

(कार्यवाही–उप जिलाधिकारी/तहसीलदार सदर, शाहजहाँपुर)

6–भूलेख कार्यालय :–

भूलेख कार्यालय कक्ष में सफाई व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं पायी गई। फर्नीचर कुर्सिया एवं अलमारी आदि पुरानी एवं टूटी–फूटी पायी गई। तहसीलदार–सदर को निर्देशित किया गया कि वह कुर्सियों व मेज आदि की मरम्मत कराकर सही कराएं अथवा नया फर्नीचर खरीद कर कार्यालय में उपलब्ध कराएं।

भूलेख कार्यालय में सर्व प्रथम दैवी आपदा के अन्तर्गत वितरण की गई धनराशि संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया गया। ए0आर0के0 द्वारा उक्त कार्य को मैनुअली किया जा रहा है तथा सूचनाओं को कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि उक्त संबंधी कार्यों की सूचना कम्प्यूटर में एक्सल साफ्टवेयर पर रक्षित की जाए ताकि उसकी नियमित एवं सही ढंग से समीक्षा की जा सके। जानकारी करने पर ए0आर0के0 द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्ष सूखा राहत मद में कुल 20 करोड़ रूपये की धनराशि वितरित की गई है। अवगत कराया गया कि वर्तमान में 82125/–रू0 की धनराशि उपलब्ध है। अंकिम 05 लाभार्थियों को वितरण की गई सहायता राशि संबंधी अभिलेख आदि प्रस्तुत करने के निर्देश देने पर संबंधित ए0आर0के0 द्वारा तत्काल प्रस्तुत नहीं किए जा सके। तदोपरान्त प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में लाभार्थी का मोबाइल नम्बर आदि अंकित नहीं पाया गया। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि सभी आवेदकों से प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों पर उनके मोबाइल नम्बर आदि अनिवार्य रूप से अंकित कराए जाएं। धनराशि प्राप्त करने वाले लाभार्थी की कोई भी आई0डी0 आदि पत्रावली में रक्षित नहीं पायी गई। उप जिलाधिकारी–सदर को निर्देशित किया गया कि वह उक्त पटल का गहना से निरीक्षण करें तथा भविष्य में सुनिश्चित कराएं कि यदि किसी भी व्यक्ति को राहत राशि आदि यदि उपलब्ध करायी जा रही है, तो उसकी आई0डी0 अनिवार्य रूप से ली जाए, ताकि प्रमाणित हो सके कि सहायता राशि सही व्यक्ति को ही प्राप्त हुई है।

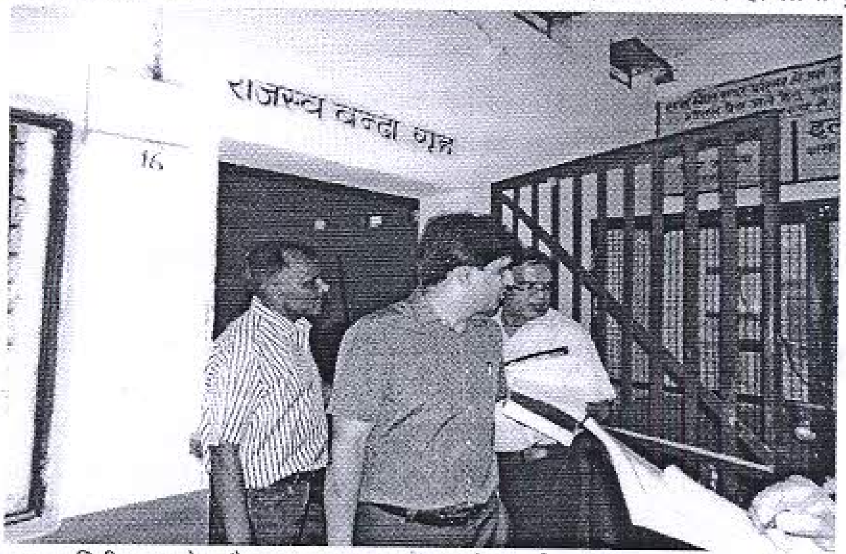

निरीक्षण के दौरान प0क0–11(क) में दर्ज वरासतों तथा आर0–6 में अंकित आदेशों को कम्प्यूटर पर फीड कराए जाने संबंधी कार्यो का निरीक्षण किया गया। आर0–6 पंजिका में तहसील सदर के सबसे बड़े ग्राम शाहबाजनगर, तालगांव एवं कोट आदि संबंधी अमल दरामद आदेशों का निरीक्षण किया गया। पंजिका में आदेशों का समय से दर्ज होना पाया गया तथा आदेश चिप्पियों का खतौनियों में चस्पा किए जाने संबंधी कार्यों के निरीक्षण से स्पष्ट

हुआ कि खतौनियों में आदेश चिप्पी चस्पा की जा रही है, किन्तु उक्त आदेश चिप्पी पर संबंधित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने हस्ताक्षर आदि अंकित नहीं किए जा रहे हैं। तहसीलदार–सदर को निर्देशित किया गया कि वह सभी आदेश चिप्पियों पर संबंधित लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें।

उक्त के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), उप जिलाधिकारी–सदर, तहसीलदार–सदर, न्यायिक तहसीलदार–सदर, नायब तहसीलदार–सदर एवं प्रशासनिक अधिकारी–सदर, शाहजहाँपुर को निर्देशित किया गया कि सभी अधिकारी 20–20 ग्रामों का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराएं कि पीठासीन अधिकारी द्वारा कब आदेश किया है, और अमलदरामद पंजिका में कब दर्ज किया गया है तथा उसकी कम्प्यूटर में फीडिंग कब हुई है तथा चिप्पी खतौनी में कब चस्पा की गई है।

रोस्टर के अनुसार खतौनियों का वार्षिक दाखिला किया जा रहा है। विभिन्न अभिलेखों की फीडिंग समय से कराया जाना बताया गया। तहसीलदार सदर द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील सदर में ग्रामों की कुल संख्या–540 है जिनमें से चकबन्दी क्रिया में ग्रामों की संख्या–11 तथा चकबन्दी के बाहर ग्रामों की संख्या–529 है तथा कुल खातों की संख्या–11,58,62 है, जिनमें से दर्ज करने योग्य मामलें 232 है और सभी 232 मामलों में विरासत दर्ज करा दी गयी है और 232 मामलों में फीडिंग कर उद्धरण खतौनी दर्ज की गयी है। विरासत दर्ज करने सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी व तहसीलदार सदर को निर्देशित किया गया कि अविवादित विरासत के मामलों जो कि शासन की प्राथमिकताओं में हैं, के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लें कि वर्तमान में कोई भी अविवादित विरासत का मामला लम्बित न रहने पाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित मृत्यु दर से यदि कम विरासत दर्ज होने के मामलें किसी ग्राम में संज्ञान में आये तो उस ग्राम का सत्यापन कर विरासत दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि वह दिखवा लें कि यदि किसी गांव के बस्ते में गांव का मानचित्र नहीं रखा गया है तो उसे जिला अभिलेखागार अथवा राजस्व परिषद से प्राप्त कर रखवाया जायें।

(कार्यवाही तहसीलदार सदर)

7—न्यायिक कार्य :—

न्यायालय तहसीलदार सदर का निरीक्षण किया गया। तहसील सदर में तहसीलदार व तहसीलदार(न्यायिक) एवं एक नायब तहसीलदार कार्यरत है। तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय के अतिरिक्त एक नायब तहसीलदार—कांट न्यायालय का तथा तहसीलदार(न्यायिक) द्वारा अपने न्यायालय के अतिरिक्त एक अन्य नायब तहसीलदार न्यायालय का कार्य अपने न्यायालयों के साथ देखा जा रहा है। तहसीलदार—सदर को निर्देशित किया गया कि वह तत्काल न्यायिक कार्यो का विभाजन करते हुए रिक्त नायब तहसीलदार—न्यायालयों को नायब तहसीलदार—सदद एवं न्यायिक तहसीलदार के मध्य वितरण सुनिश्चित करें। तहसीलदार सदर के न्यायालय में माह अप्रैल, 2016 के प्रारम्भ में धारा 122बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधिनि0 नियम के 06 वाद अवशेष थे। माह अप्रैल,2016 में 06 वाद दायर हुये। इस प्रकार निस्तारण योग्य कुल 12 वादो के सापेक्ष 01 वाद का निस्तारण किया गया है तथा निस्तारण हेतु 11 वाद अवशेष है। न्यायालय तहसीलदार सदर में माह अप्रैल,2016 के प्रारम्भ में 76 विवादित वाद तथा 97 अविवादित वाद अवशेष थे। माह अप्रैल,2016 में कोई विवादित वाद दायर नही हुआ तथा 101 अविवादित वाद दायर हुये। इस प्रकार निस्तारण योग्य कुल 76 विवादित एवं 97 अविवादित वादो के सापेक्ष 06 विवादित एवं 95 अविवादित वादों का निस्तारण किया गया है तथा निस्तारण हेतु 11 विवादित वाद तथा 12 अविवादित वाद अवशेष है।

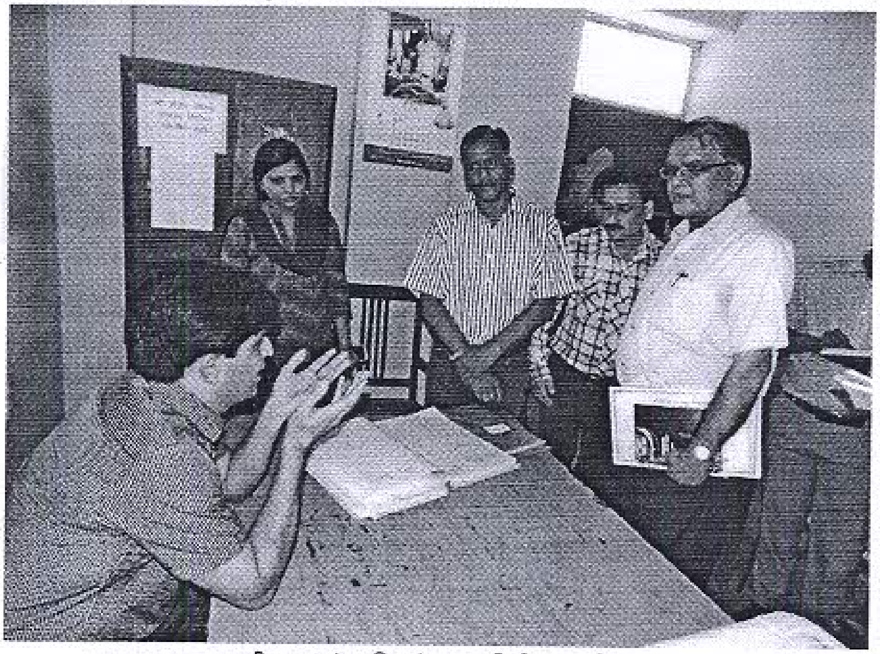

न्यायालय तहसीलदार(न्यायिक) का निरीक्षण किया गया। तहसीलदार(न्यायिक) द्वारा बताया गया कि न्यायालय में माह अप्रैल,2016 के प्रारम्भ में धारा 122बी ज0वि0 एवं भू0व्य0अधिनि0 नियम के 26 वाद अवशेष थे। माह अप्रैल,2016 में 14 वाद दायर हुये। इस प्रकार निस्तारण योग्य कुल 40 वादो के सापेक्ष 11 वाद का निस्तारण किया गया है तथा निस्तारण हेतु 29 वाद अवशेष है। न्यायालय तहसीलदार(न्यायिक) सदर में माह अप्रैल,2016 के प्रारम्भ में 12 विवादित वाद तथा 49 अविवादित वाद अवशेष थे। माह अप्रैल,2016 में कोई विवादित वाद दायर नही हुआ तथा 28 अविवादित वाद दायर हुये। इस प्रकार निस्तारण योग्य कुल 12 विवादित एवं 77 अविवादित वादो के सापेक्ष 04 विवादित एवं 47 अविवादित वादों का निस्तारण किया गया है तथा निस्तारण हेतु 08 विवादित वाद तथा 30 अविवादित वाद अवशेष है।

इसी प्रकार नायब तहसीलदार सदर/जमौर/कॉट/भावलखेड़ा के न्यायालय